नवीकरणीय ऊर्जा श्रोतों से विद्युत उत्पादन हेतु परियोजनाओं का आवंटन

नवीकरण ऊर्जा श्रोतों से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा दिए जाने विषयक नीति जनवरी 2008 में प्रख्यापित की गयी इस नीति के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को तीन श्रेणियों में विभक्त किया गयाः–

(क) सूक्ष्म परियोजनायें –100 कि0वा0 तक

(ख) अति लघु परियोजनायें– 100 कि0वा0 से अधिक किन्तु 5 मेगावाट तक

(ग) लघु परियोजनायें– 5 मेगावाट से अधिक किन्तु 25 मेगावाट तक

2. जिन परियोजनाओं को विकासकर्ता स्वयं चिन्हित कर प्रस्ताव लायेगें उन्हें स्वयं चिन्हित परियोजना तथा जिन परियोजनाओं को राज्य सरकार अथवा उनके द्वारा पोषित उपक्रमों द्वारा चिन्हांकन किया जायेगा उन्हें राज्य चिन्हित परियोजनाओं की संज्ञा दी गई। नीति के अन्तर्गत 100 कि0वा0 तक की परियोजनायें उत्तराखण्ड के स्थानीय निवासियों, ग्राम पंचायतों, तथा सोसायटीज के लिए आरक्षित की गयी। 100 कि0वा0 से अधिक एवं 5 मेगावाट तक की परियोजनाओं के आवंटन में उत्तराखण्ड के निवासियों, ग्राम पंचायतों, सोसायटीज तथा कम्पनियों के लिए वरीयता प्रदान की गयी। 5 मेगावाट से अधिक किन्तु 25 मेगावाट तक की परियोजनायें सभी के लिए खुली रखी गयी।

3. स्वयं चिन्हित परियोजनाओं के लिए 25 जुलाई, 2008 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था एवं अन्तिम तिथि 27–12–2008 निर्धारित की गयी थी। इस तिथि तक 741 प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए, इसमें 5 प्रार्थनापत्र अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं तथा 736 प्रार्थनापत्र जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सम्मिलित हैं। जल विद्युत परियोजनाओं के प्रार्थना पत्रों का विवरण निम्नवत् हैः–

क्षमता	प्राप्त प्रार्थनापत्रों की संख्या
100 कि0वा0 तक (सुक्ष्म परियोजनायें)	7
100 कि0वा0 से अधिक किन्तु 05 मे0वा0 तक (अतिलघु परियोजायें)	254
5 मे0वा0 से अधिक किन्तु 25 मे0वा0 तक (लघु परियोजनायें)	475
योग	736

4. प्रार्थनापत्रों के मूल्यांकन हेतु अपर सचिव, ऊर्जा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति ने प्रस्तावों का परीक्षण प्रथमतः इस आधार पर किया कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप है अथवा नहीं। ततपश्चात् तकनीकी एवं वित्तीय आधार पर प्रस्तावों का परीक्षण किया गया। तकनीकी बिन्दुओं ऊर्जा एवं अन्य अवस्थापना विकास की परियोजनाओं का अनुभव तथा वित्तीय बिन्दुओं में टर्नओवर, नेटवर्थ तथा नैटकैश अर्जन सम्मिलित था। 741 प्रार्थनापत्रों में से 624 प्रार्थनापत्रों को इन मानकों में योग्य पाया गया।

5. समिति ने परियोजना आवंटन के लिए निम्न नीति अपनाईः—

(क) जिन विकासकर्ताओं द्वारा एक नियत शीर्ष (Head) में अधिक क्षमता प्रस्तावित की गयी थी उनको वरीयता प्रदान की गयी।

(ख) एक ही नदी में जिन विकासकर्ताओं ने सोपान (Cascade) में परियोजना का प्रस्ताव दिया है उन्हें अन्य विकासकर्ताओं की अपेक्षा वरीयता दी गयी है।

(ग) यदि एक ही शीर्ष के अन्तर्गत एक से अधिक विकासकर्ता ने समान क्षमता प्रस्तावित की हो तो उस विकास कर्ता को वरीयता प्रदान की गई जिसने तकनीकी एवं वित्तीय मानकों पर अधिक अंक प्राप्त किए।

(घ) जिन स्थानीय विकासकर्ताओं ने पांच मे0वा0 तक की परियोजना के लिए आवेदन दिया था और उनकी प्रस्तावित परियोजना अन्य वाहरी विकासकर्ताओं जिनकी क्षमता पांच मे0वा0 से अधिक के बीच में आती है, उस स्थिति में स्थानीय विकासकर्ताओं को उसी नदी/गदेरा में उनके प्रस्तावित लेवल में परिवर्तन करने का विकल्प दिया गया है।

(च) विकासकर्ता द्वारा प्रस्तावित परियोजना राज्य चिन्हित परियोजनाओं के बीच में आती है तो उन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(छ) जिन विकासकर्ताओं द्वारा एक कम शीर्ष (Less Head) में अधिक क्षमता प्रस्तावित की गयी थी उनको वरीयता प्रदान की गयी।

6. समिति द्वारा मूल्यांकन के पश्चात मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विचार किया गया। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ने जल विद्युत की कुल 963.6 मेगावाट की 56 परियोजनाओं पर स्वीकृति प्रदान करने हेतु संस्तुति की। उक्त अनुमोदन के पश्चात निम्नलिखित 56 जलविद्युत परियोजनाओं का अवंटन किया गया :—

क्र0	आवेदनकर्ता	परियोजना का नाम	क्षमता (मे0वा0)
1	मिसिगन इंजिनियर्स प्रा0लि0	मदकनी –IV	23.5
2	अनिला महाजन	ओखली	25
3	अनिला महाजन	ओखली– II	25
4	पटेल इंजिनियरिग लि0	मदकनी –V	24.8
5	चण्डीगढ डिस्टीलर्स एवं बोटलर्स	रालम सिम्पू उडियार	25
6	चण्डीगढ डिस्टीलर्स एवं बोटलर्स	रालम बैसानी उडियार	25
7	चण्डीगढ डिस्टीलर्स एवं बोटलर्स	रालम सांबा उडियार	25
8	कुर्मी इनर्जी प्रा0लि0	रालम क्षर्पू उडियार	25
9	देवभूमि इनर्जी प्रा0लि0	भिलंगना सिलागौर	25
10	डांडा मुण्डी अन्नाई प्रा0लि0	भिलंगना रीह	25
11	डांडा मुण्डी अन्नाई प्रा0लि0	भिलंगना गांगी	25
12	डांडा मुण्डी अन्नाई प्रा0लि0	भिलंगना काली दायी	25
13	सांई इंजीनियरिंग फाउन्डेसन	घुत्तू	25
14	एक्सेल इंटरनेशनल लि0	भिलंगना टॉप	11
15	मधुकौन प्रोजेक्ट लि0	तिलवाडा 2	25
16	मधुकौन प्रोजेक्ट लि0	तिलवाडा 1	25
17	मधुकौन प्रोजेक्ट लि0	अगस्तमुनी	25
18	सिगनेट सप्लायर प्रा0लि0	जिम्बा सालदीप	25
19	सिगनेट सप्लायर प्रा0लि0	जिम्बा मरम	24
20	ए0आर0वी0एस0 कन्सट्रक्सन प्रा0लि0	कुलकाजिम्बा	15
21	आर0वेकटेश्वरा राव	सोनगाड 2	10
22	एक्वापावर प्रा0लि0	सोन	25
23	कुर्मी इनर्जी प्रा0लि0	प्यूनसानी मदकनी	25

24	सांई इंजीनियरिंग फाउन्डेसन	बिलुव गाड 2	25
25	अनिला महाजन	बिलुव गाड 1	25
26	सांई इंजीनियरिंग फाउन्डेसन	सुन्दरडुंगा –V	25
27	वायोमेड इन्डस्ट्रीज	सुन्दरडुंगा –IV	25
28	ललित महाजन	सुन्दरडुंगा –II	25
29	ललित महाजन	सुन्दरडुंगा –I	25
30	ललित महाजन	पिलना	25
31	अशोक टंडन	नंदाकनी	10
32	प्रोएक्टिव	नंदाकनी	25
33	रिजेन्ट आटोमोवाइल	नंदाकनी मदना	25
34	सिगनेट सप्लायर प्रा0लि0	नंदाकनी सुतलतत्रा	22
35	इन्डस रिन्यूएवल	रियूलबागर मलारी	25
36	इन्डस रिन्यूएवल	बांपा रियुलबागर	25
37	हूल हाइड्रो	घमशाली बांपा	24
38	एस0एल0एस0 पावर	नीति घमशाली	25
39	टापटेन साफ्टवेयर	डोंगरी थराली	10
40	पंजाव डिस्टीलर्स	कागभुशुण्ड –II	15.6
41	पंजाव डिस्टीलर्स	कागभुशुण्ड –I	11
42	कपिल मोहन एवं ऐसोसियेट	पिटीगाड	15
43	बेल आफिस साफ्टवेयर एवं सप्लायर लि0	सिलीनगाड	10.2
44	वी0के0जे0 विल्डर्स	रतगांव	2
45	यूनिक विल्डर्स	प्रान्त चौक	2
46	अलवर पावर	अपर खिराऊ गंगा	5
47	किस्ना मोटर्स	गार्गी	0.3
48	रतना असवाल	घटगाड	0.4

49	गोपाल इंजिनियरिंग वर्कस्	गलाती	0.5
50	गोपाल इंजिनियरिंग वर्कस्	पांगला	0.5
51	रतना असवाल	अनसोर गाड	0.5
52	रतना असवाल	पंगराना गाड	0.5
53	जगदंम्बर इण्डेन गैस एजेन्सी	मैनीगदेरा	0.5
54	सुरेन्द्र सिंह राणा	गाख	0.1
55	सुरेन्द्र सिंह राणा	गडोरा	0.1
56	हिमालया हाइड्रो	सुरगाड	0.1
		कुल :	**963.6**

उक्त परियोजना के अलावा निम्न तीन अन्य नवीकरणीय परियोजनायें भी निम्न विकासकर्ताओं को आवंटित किया गया :—

क्र0	आवेदनकर्ता	परियोजना का नाम एवं क्षमता
1	एस0आर0ई0आई0 इन्फ्रास्ट्रक्चर फाईनेन्स लि0	10 मेगावाट सौर ऊर्जा आधारित
2	भारत बायो ऊर्जा लि0	1 मेगावाट बायोमिथीनेशन आधारित
3	अलवर पावर कम्पनी प्रा0 लि0	5 मेगावाट बायोमास ऊर्जा आधारित

जिन विकासकर्ताओं ने उपरोक्त नदी/गदेरा में परियोजना के लिये आवेदन किया था और उनको आवंटन के सम्बन्ध में यदि उन्हें कोई आपत्ति है तो दिनांक 20.03.2010 तक अपर सचिव, ऊर्जा को लिखित रूप में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें।